From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ताहिर बनाम यूनूस वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इजीरियल्य जज

प्रार्थना पत्र –212 संख्या 19 वर्ष 2020

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
03.2.20 आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। एक पक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 05.03.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1007/0.03, 1008/0.96, 1046/0.05, 1253/0.18, 218/0.72है0 वाके ग्राम [illegible] पर प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी पर रहन बय न करें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा मय रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	

5/3/20 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित मुताबिक [illegible] वास्ते मुलाहिजा दिनांक 21/5/20 को पेश हो।

20 पत्रावली आज पेश हुई वादी का वाद राजीनामे के आधार पर खारिज किया गया है अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है पत्रावली सलग्न मुलवाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0